संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन
राजभाषा विभाग, फोर्ट एरिया,
दमण – 396 220
ई-मेल ad-01-dnh@nic.in/ adol-daman-dd@nic.in / adol-diu-dd@nic.in

~~~~~~

सं. रा.भा. 11(3)/हिन्दी दिवस/2021/ 82 दिनांक :- 01 /09/2021

पढ़ें :- (1) डॉ. सुमीत जैरथ, सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली के दिनांक 10 अगस्त, 2021 के अर्ध शासकीय पत्र सं. 11034/07/2021-रा.भा. (नीति) का अवलोकन करें ।

प रि प त्र

विषय :- सितम्बर, 2021 में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा के आयोजन के संबंध में ।

उपरोक्त उद्देशिका (1) को ध्यान में रखते हुए संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव स्थित प्रशासन के सभी कार्यालयों, केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, निगमों, निकायों, उपक्रमों, भारत सरकार के प्रतिष्ठानों, तथा शैक्षणिक संस्थानों को यह सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के कारण संघ प्रदेश प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक कार्यालयों द्वारा अपने-अपने स्तर पर हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाए जाने का निर्णय लिया गया है ।

इस संबंध में सभी कार्यालयाध्यक्षों को सूचित किया जाता है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर प्रशासन द्वारा जारी सामाजिक दूरी एवं अन्य तत्संबंधी दिशा-निर्देशों का अनिवार्यत: अनुपालन करते हुए अपने-अपने कार्यालयों में यथासंभव ऑनलाइन एवं व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए हिन्दी से जुड़े विविध कार्यक्रमों का आयोजन करें । 14 सितम्बर, 2021 को हिन्दी दिवस के अवसर पर संयुक्त रूप से राजभाषा प्रतिज्ञा लें ताकि हम संविधान द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन कर सकें । राजभाषा प्रतिज्ञा इस पत्र के साथ संलग्न है । इसके साथ यह भी निवेदन है कि सितम्बर, 2021 माह के दौरान ये कार्यक्रम इस प्रकार आयोजित किए जाएं, ताकि 14 सितम्बर (हिन्दी दिवस) का दिन इस अवधि में शामिल रहे ।

अत: आपसे अनुरोध है कि आप सभी अपने-अपने कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाए जाने से संबंधित रिपोर्ट कार्यक्रम आयोजन की समाप्ति के 01 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से राजभाषा विभाग, दमण एवं दीव को अथवा ई-मेल पर उक्त रिपोर्ट भेजने की कृपा करें ।

इसे माननीय सचिव (राजभाषा), दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव, दमण की अनुमोदित डायरी सं. 769671 दिनांक 01/09/2021 के तहत जारी किया जाता है ।

01-09-21
(करणजीत वाडोदरीया)
संयुक्त सचिव (राजभाषा)

संलग्न : यथोपरि

सेवा में,

सभी कार्यालयाध्यक्ष,
दा.न.ह./दमण/ दीव

प्रतिलिपि :-

1. माननीय सचिव (राजभाषा), सचिवालय, दमण ।
2. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, दमण को इस अनुरोध के साथ कि इसे प्रशासन के वेबसाइट पर अपलोड करें ।

Scanned with CamScan
~~~~~~

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राजभाषा विभाग
(सदैव ऊर्जावान ; निरंतर प्रयासरत)

राजभाषा प्रतिज्ञा

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 और 351 तथा राजभाषा संकल्प 1968 के आलोक में हम, केंद्र सरकार के कार्मिक यह प्रतिज्ञा करते हैं कि अपने उदाहरणमय नेतृत्व और निरंतर निगरानी से; अपनी प्रतिबद्धता और प्रयासों से; प्रशिक्षण और प्राइज़ से अपने साथियों में राजभाषा प्रेम की ज्योति जलाये रखेंगे, उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे; अपने अधीनस्थ के हितों का ध्यान रखते हुए; अपने प्रबंधन को और अधिक कुशल और प्रभावशाली बनाते हुए राजभाषा- हिंदी का प्रयोग, प्रचार और प्रसार बढ़ाएंगे। हम राजभाषा के संवर्द्धन के प्रति सदैव ऊर्जावान और निरंतर प्रयासरत रहेंगे।

जय राजभाषा ! जय हिंद !

--

Scanned with CamScan